न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

प्रकरण संख्या 21 / 2025 (GCMS: 2025/205)
(RTI No. :)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवासी 5 केएसडी सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर (मोबाईल नम्बर 94619–41862)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मुकन्द सिंह ने तत्कालीन राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 08.11.2024 से सूचना चाही थी, जो तत्कालीन राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.11.2024 के द्वारा तत्कालीन राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ से निम्न सूचना चाही थी:

1. परिवार पहचान पत्र राजस्थान जिस वर्ष लागू किया गया, उस वर्ष की सूचना उपलब्ध करवाएं प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
2. भारतीय संविधान के जिस नियम के तहत राजस्थान में परिवार पहचान पत्र लागू किया गया है, उस नियम की सूचना उपलब्ध करवाए, प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
3. परिवार पहचान पत्र बनाने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की सत्यापित छायाप्रति चाही है।
4. परिवार पहचान पत्र को न्यायिक उद्देश्य हेतु संविधान के जिस नियम के तहत उपयोग किया जाता है सम्पूर्ण नियमावली की सत्यप्रति छाया प्रति चाही है।
5. परिवार पहचान पत्र संविधान के जिस नियम के तहत बनाए गए सम्पूर्ण नियमावली की सत्यप्रति छायाप्रति चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:36:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6. भारतीय संविधान के जिस नियम के तहत माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में परिवार पहचान पत्र को अपनी आय के प्रयोग के साक्ष्य के तौर पर उपयोग किया जाता है उस सम्पूर्ण नियमावली की सत्यप्रति छायाप्रति चाही है।
7. भारतीय नागरिकों के प्रार्थना पत्र, शिकायत, परिवाद आदि का समाधान, न्याय, निस्तारण करने के भारतीय संविधान के अनुसार नियमावली की सम्पूर्ण दस्तावेज चाहा है एवं राजस्थान सरकार में प्रशासनिक सुधार विभाग व अन्य विभाग के आदेशों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
8. बिन्दु सात के अनुसार नागरिकों के प्रार्थना पत्र शिकायत उच्च अधिकारियों, लोक सेवकों को जांचकर (तथ्य सबूत) संग्रह कर जिस नियमावली व तय समय में भेजनी होती है, उस नियमावली के सम्पूर्ण दस्तावेज चाही है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ34(18)(6) आरटीआई / सामान्य / 2024 / 4180 दिनांक 31.07.2025 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि अपील लोक सूचना अधिकार अधि. सं. 21 / 2025 मुकंद सिंह बनाम अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ से चाही गयी सूचना, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ के पत्र दिनांक 18.11.2024 से सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, श्रीगंगानगर एवं उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, अनूपगढ़ से सम्बन्धित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत आवेदन हस्तांतरित की जा चुकी है। जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है।

तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी श्रीगंगानगर एवं उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, अनूपगढ़ से होने के कारण उन्हें हस्तांतरित कर दिया था। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत** सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, श्रीगंगानगर एवं उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग अनूपगढ **द्वारा सूचना के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है।** इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:36:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

की जाती है। प्रार्थी यदि सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, श्रीगंगानगर एवं उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग अनूपगढ के जवाब से असंतुष्ट हो तो उनके सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज़ की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, (प्रशासन), श्रीगंगानगर (सामान्य शाखा)** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक **27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया** गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:36:22 IST
Reason: SelfAttested